

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 5(6)गृह-1/2024 (20504)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित नियमित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.02.2025 की अभिशंषाओं के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा की सलेक्शन स्केल की वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध निम्नांकित अधिकारियों को सीनियर स्केल से सलेक्शन स्केल में वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्रं.सं.	नाम अधिकारी	वर्ग	रिक्ति दिनांक
1.	श्री ओमप्रकाश/भागीरथ	एससी	01.04.2024
2.	श्री सुरेश कुमार/नत्थी लाल	एससी	01.04.2024
3.	श्री नरपत चन्द/तारा चन्द	एससी	01.04.2024
4.	श्री रामचन्द्र/देवाराम	सामान्य	01.04.2024
5.	श्री निरंजन कुमार/देवीदान	सामान्य	01.04.2024
6.	श्री देवानन्द/मनीराम	एससी	01.04.2024
7.	श्री नीलकमल मीणा/उमराव सिंह	एसटी	01.04.2024
8.	श्री सुखविन्दर पाल सिंह/अमरीक सिंह	एससी	01.04.2024
9.	श्री राकेश कुमार/बाबूलाल	एससी	01.04.2024
10.	श्री विजेन्द्र सिंह भाटी/भंवर सिंह	एससी (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
11.	श्री ताराचन्द्र/जगदेवाराम	सामान्य	01.04.2024
12.	श्री नवाब खां/हासम खां	सामान्य	01.04.2024
13.	श्री रामचन्द्र सिंह/रामदेव सिंह	सामान्य	01.04.2024
14.	श्री शम्भू सिंह/नारायण सिंह	सामान्य	01.04.2024
15.	श्री सुभाष चन्द शर्मा/बन्शीधर	सामान्य	01.04.2024
16.	श्री खान मोहम्मद	सामान्य	01.04.2024
17.	श्री रजनीश कुमार/सत्यनारायण	सामान्य	01.04.2024
18.	श्री धर्मवीर सिंह/अमीलाल	सामान्य	01.04.2024
19.	श्री नारायण लाल शर्मा	सामान्य	01.04.2024
20.	श्री राय सिंह बेनीवाल/जोत राम	सामान्य	01.04.2024
21.	श्री जनेश सिंह/कुन्दन सिंह	सामान्य	01.04.2024
22.	श्री परबत सिंह राठौड़/रघुनाथ सिंह	सामान्य	01.04.2024
23.	श्री मंजीत सिंह/शत्रुसाल सिंह	सामान्य	01.04.2024
24.	श्री विरेन्द्र सिंह/लाल सिंह	सामान्य	01.04.2024
25.	श्री श्याम लाल/रामप्रताप	एसटी (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
26.	श्री रामकल्याण मीणा/मंगल जी	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
27.	श्री गोपीचन्द्र मीणा/लक्ष्मीनारायण	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
28.	श्री अनिल कुमार मीणा/चिमनलाल	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
29.	श्री ओमप्रकाश मीणा/ छाजुलाल मीणा	एस.टी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
30.	श्री किशोर कुमार/श्रीकृष्ण	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, जयपुर।
T. No. 0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324



31.	श्री महेन्द्र कुमार भगत / हरिशंकर भगत	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
32.	श्री भंवरलाल / शिवलाल	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
33.	श्री दिनेश कुमार राजौरा / बाबूलाल	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
34.	श्री जयसिंह / सुल्तान सिंह	एस.सी. (सामान्य की रिक्ति के विरुद्ध)	01.04.2024
35.	श्री भूपेन्द्र शर्मा	सामान्य	01.04.2024
36.	श्री निशांत भारद्वाज	सामान्य	01.04.2024
37.	श्री महेन्द्र कुमार शर्मा	सामान्य	01.04.2024
38.	श्री गोपाल सिंह भाटी	सामान्य	01.04.2024
39.	श्री रघुवीर प्रसाद	सामान्य	01.04.2024
40.	श्री महेन्द्र कुमार पारीक	सामान्य	01.04.2024
41.	श्री जिनेन्द्र कुमार जैन	सामान्य	01.05.2024
42.	श्री देवेन्द्र सिंह राजावत	सामान्य	01.05.2024
43.	श्री हिमांशु जांगिड	सामान्य	01.06.2024
44.	श्री सुभाष चन्द्र	सामान्य	01.07.2024
45.	श्री ओमप्रकाश चौधरी	सामान्य	01.08.2024
46.	श्री दीपक कुमार	सामान्य	01.08.2024
47.	श्री अतुल साहू	सामान्य	20.09.2024
48.	श्री महावीर प्रसाद शर्मा	सामान्य	01.12.2024
49.	श्रीमती प्रियंका	सामान्य	01.12.2024

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यक्षीन है। उक्त आरपीएस अधिकारियों को रिक्ति दिनांक से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

उक्त पदोन्नत आरपीएस अधिकारीगण अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राकेश राजोरिया)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव / विशिष्ट शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी सूचनार्थ प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस